न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

निगरानी / एल.आर. / 6887 / 2002 / टोंक

1. सूरजकरण पुत्र छीतर
2. ग्यारसीलाल पुत्र छीतर
3. जगमोहन पुत्र कान्हा

समस्त जाति बैरवा, निवासीयान ग्राम टोरड़ी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

....**निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. बंशी पुत्र बालू जाति रैबारी
2. रामधन पुत्र छोटू जाति रैबारी
2. कालू पुत्र हीरा जाति गूर्जर

समस्त निवासीयान ग्राम टोरडी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

3. सरपंच, ग्राम पंचायत, टोरड़ी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

.....**तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट**

निगरानी / एल.आर. / 6888 / 2002 / टोंक

1. सूरजकरण पुत्र छीतर
2. ग्यारसीलाल पुत्र छीतर
3. जगमोहन पुत्र कान्हा

समस्त जाति बैरवा, निवासीयान ग्राम टोरड़ी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

.... **निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. बंशी पुत्र बालू जाति रैबारी
2. प्रेम पुत्री हीरा जाति गूर्जर

समस्त निवासीयान ग्राम टोरडी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

3. सरपंच, ग्राम पंचायत, टोरड़ी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

.....**तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट**

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री जे.पी. माथुर, अभिभाषक निगरानीकर्तागण
श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

निर्णय **दिनांक : 01.05.2019**

1. यह दोनो निगरानी याचिकाएं धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा अपील संख्या 38/99 एवं 39/99 में दिनांक 16.10.2002 को पारित संयुक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं 889/2 रकबा 10 बीघा ग्राम टोरड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक में नन्दा पुत्र हीरा का 4/9 हिस्सा, प्रेम पुत्री हीरा का 1/9 हिस्सा व कालू पुत्र हीरा का 2/9 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार था। इस भूमि में से कालू ने दिनांक 22.06.1996 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अपना 4/9 हिस्सा रेस्पोडन्टस बंशी व रामधन को विक्रय कर दिया था। इसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3895 एवं 3959 ग्राम पंचायत टोरडी व तहसीदार मालपुरा ने क्रेतागण के पक्ष में तसदीक किए थे। इससे असन्तुष्ट होकर निगरानीकर्तागण ने उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की थी, जिसका मुख्य आधार यह था कि आराजी खसरा नं 889 का कुल रकबा 14.08 बीघा था, जिसमें से 4 बीघा भूमि को आबादी हेतु ग्राम पंचायत को दे दिया गया तथा 8 बिस्वा भूमि ही राम निवास के खाता में दर्ज रही थी। शेष भूमि खसरा नं 889/2 नन्दा, कालू, बन्सी व रामधन के नाम दर्ज रहा। जो 4 बीघा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु दी गई थी वह भूमि राज्य सरकार ने बैरवा समुदाय को आवास हेतु उपलब्ध करवा दी थी, उस भूमि में से निगरानीकर्तागण को, जो कि बैरवा जाति के सदस्यगण है, ग्राम पंचायत ने आवासीय पट्टे जारी कर दिए थे एवं मकान बनाने हेतु ऋण भी उपलब्ध करवाया था। इस भूमि पर निगरानीकर्तागण के 5–6 मकानात बने हुए है, जिनमें बैरवा समुदाय के लोग रह रहे है। किन्तु ग्राम में

मारपीट के भय से उनके ताले लगे हुए है तथा दूर हटे हुए है। ग्राम पंचायत के बिना किसी जांच पड़ताल के नामान्तरकरण तसदीक किया है। इसलिए प्रथम अपील में निगरानीकर्तागण ने नामान्तरकरण निरस्त करने का निवेदन किया था। उपखण्ड अधिकारी, मालूपरा ने यह मानते हुए कि निगरानीकर्तागण अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा सरकारी योजना के तहत निगरानीकर्तागण के मौका पर मकानात बने हुए है, निगरानीकर्तागण को सुने बगैर नामान्तरकरण तसदीक किए गए है। इसलिए वह अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरणों को निरस्त कर दिया गया एवं प्रकरण नायब तहसीलदार मालपुरा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया गया कि दोनो पक्षों को सुनकर नए सिरे से नामान्तरकणों को तसदीक करने की कार्यवाही करें। उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के निर्णय दिनांक 7.04.1999 को रेस्पोन्डेन्टस बन्सी, रामधन, कालू व प्रेमदेवी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में दो पृथक पृथक द्वितीय अपीलों के द्वारा चुनौती दी थी। दिनांक 16.10.2002 के निर्णय के द्वारा द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इन व्यक्तियों की अपीलो को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी मालपुरा का निर्णय अपास्त कर दिया एवं दोनों नामान्तरकणों को बहाल कर दिया। दिनांक 16.10.2002 के उक्त निर्णय को निगरानीकर्तागण ने इस निगरानी के माध्यम से चुनौती दी है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण की दलील है कि उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने तथ्यात्मक एवं विधिक पहलुओं को ध्यान में रख कर नायब तहसीलदार मालपुरा को प्रकरण पुनः सुनवाई करके निर्णय पारित करने हेतु सही रूप से प्रतिप्रषित किए थे। द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इन तथ्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्टस बन्सी, रामधन, कालू व श्रीमती प्रेमदेवी केवल 10 बीघा भूमि धारण किए हुए थे तथा उन्होने अनियमित व अविधिक रूप से आबादी की भूमि को अपनी खातेदारी की भूमि दर्शा कर बिना किसी अधिकार के विक्रय कर दिया था। तथ्यो से यह भली भांति साबित है कि वादग्रस्त स्थल पर निगरानीकर्तागण को आवास निर्मित करने हेतु पट्टे जारी किए गए थे, उन्हे आवास ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी एवं उन्होंने वहां पर मकान भी निर्मित कर लिए

थे तथा मौका पर उनका कब्जा भी चला आ रहा है। दिनांक 22.05. 2002 को उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने राजस्व नक्शा में तरमीम करने का अदेश दिया था उस आदेश की पालना में ही राजस्व नक्शे में आबादी की भूमि को तरमीम किया गया था तथा नया खसरा नं 889/1 डाला गया था। इसका रकबा वर्तमान में 3 बीघा 14 बिस्वा ही बनता है। इस भूमि पर बन्सी वगैरा का कोई कब्जा भी नहीं है बल्कि उनका कब्जा भूमि खसरा नं 889/2 के मात्र 8 बीघा 18 बिस्वा रकबा पर है तथा वे ज्यादा भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। इसी वाद विषय को लेकर व्यवहार न्यायालय में एक वाद भी लम्बित है, जिसके साथ प्रस्तुत किए गए अस्थाई व्यादेश के आवेदन पत्र संख्या 48/02 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2002 से भी यह स्पष्ट है कि मौका पर निगरानीकर्तागण के मकानात आबादी भूमि पर निर्मित है। उपखण्ड अधिकारी के तरमीम आदेश से भी यह स्पष्ट है कि आबादी भूमि सडक के लगवा है फिर भी संभागीय आयुक्त ने सिविल न्यायालय द्वारा जारी कमिश्नर की रिपोर्ट दिनांक 23.09.2002 को आधार मानकर निर्णय पारित करके त्रुटि की गई है, जबकि सिविल न्यायालय ने भी उस कमिश्नर रिपोर्ट को कोई तवज्जो नहीं दी थी। इसके अलावा पिछडी जाति के लोगो ने राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र पेश कर पट्टे बहाल करने का भी निवेदन कर रखा हैं, जो कि अभी विचाराधीन है। इसलिए जब तक राज्य सरकार से अंतिम निर्णय पारित नहीं हो जाता है तब तक जिला कलक्टर के आदेश का कोई महत्व नहीं है। किन्तु द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने जिला कलक्टर के आदेश को सर्वोपरि मानकर भूल की है। नामान्तरकरण तसदीक करते समय गैर मुमकिन आबादी की भूमि को नामान्तरकरण की कार्यवाही में शामिल करके एवं प्रभावित पक्षकारो को सुने बिना आदेश पारित करके ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार ने भूल की थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी ने सुधार दिया था किन्तु संभागीय आयुक्त ने आक्षेपित निर्णय पारित करके गलत रूप से नामान्तरकरण को बहाल किया है। तहसीदार ने भी प्रश्नगत नामान्तरणकरण को बिना जांच पड़ताल किए व बिना सुनवाई का अवसर दिए तसदीक करके त्रुटि की थी क्योंकि वर्ष 1996 में दीवानी वाद चल रहा था उसमें यथास्थिति का आदेश था। इसलिए तहसीलदार ने भी अपने क्षेत्राधिकार का भी दुरपयोग किया था। अतः निवेदन किया गया है कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर का आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाए एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा का निर्णय बहाल रखा जाए।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने उक्त दलीलो का यह कहते हुए विरोध किया है कि उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने तथ्यों की अनदेखी करके अवैधानिक निर्णय पारित किया था। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर ने सभी तथ्यात्मक व विधिक पहलुओ की नए सिरे से विवेचना की तथा दोनो नामान्तरकरण को विधि सम्मत होना पाया था इसलिए उपखण्ड अधिकारी मालपुरा का निर्णय सही रूप से अपास्त किया है। द्वितीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि की कसौटी पर सही है इसलिए यह निगरानी खारिज की जाए।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में निम्न तथ्य साबित होना पाए है:–

1. वादग्रस्त आराजीयात बन्सी वगैरा ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये क्रय की थी तथा यह भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज है।

2. ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टो में खसरा नं अंकित नही है तथा इस भूमि के पट्टे जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार भी नहीं था।

3. इस भूमि पर मौजूदा निगरानीकर्तागण के कोई हक निहित नहीं है तथा अतिरिक्त कलक्टर टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 13.04.2000 के द्वारा उन पट्टो को निरस्त भी कर दिया है। इन्ही आधारो पर अस्थाई व्यादेश की दरखास्त सिविल न्यायालय ने खारिज की है।

इन फाइंडिंगस के बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी ने नामान्तरकरण तसदीक करने की कार्यवाहियो को अपास्त करते हुए प्रकरण दोनो पक्षो को सुनकर पुनः आदेश पारित करने के निर्देश देकर रिमाण्ड कर दिया था। उपरोक्त तीनो तथ्यो की रोशनी में तसदीकशुदा नामान्तरकरणों को अपास्त करने का कोई विधिक आधार उपलब्ध नहीं था। इसलिए विद्वान उपखण्ड

अधिकारी मालपुरा द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश को विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर ने यह कहते हुए अपास्त किया है कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरणों को सही रूप से तसदीक किया गया था। इसका एक कारण यह भी जाहिर किया गया है कि पट्टे निरस्त हो जाने के बाद निगरानीकर्तागण की स्थिति अतिक्रमीयों से अधिक की नहीं है। मेरी विनम्र राय में विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर ने आक्षेपित निर्णय पारित करके क्षेत्राधिकार संबंधित त्रुटि नहीं की है और न ही अपने .क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है।

8. इसके अलावा नामान्तरकरण की कार्यवाही वित्तीय कार्यवाही होती है, जिससे किसी व्यक्ति के पक्ष में हितो का सृजन नहीं होता है और ना ही किसी के हित समाप्त होते है। इस मामले में इसी भूमि को लेकर सिविल वाद विचाराधीन है तथा पक्षकरान के अधिकारो का अन्तिम निर्णय नियमित वाद में ही होगा। इसलिए भी विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किए गए नामान्तरकरणों को बहाल करके विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर ने तात्विक त्रुटि नहीं की है। लिहाजा यह दोनो निगरानीयां काबिले खारिज है।

9. उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह दोनो निगरानीयां खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य